भारत सरकार/Government of India परमाण् ऊर्जा विभाग/Department of Atomic Energy (आईआरएंडडब्ल्यू अनुभाग/IR&W Section)

अणुशक्ति भवन/Anushaktı Bhavan. छ शि.म मार्ग/C.S.M Marg, मुंबई/Mumbai - 400 001

सं./No.7/8/2009-आईआरएंडडब्ल्यू/IR&W/**/3** ९

मार्च/March 26 2010

विषय

: सीएचएसएस के अंतर्गत अस्पताल आवास हेत् हकदारी का

पुनर्वर्गीकरण

Subject: Re-classification of entitlement of Hospital

accommodation under CHSS.

केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के अनुसार कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन किए जाने के कारण सीएचएसएस के अंतर्गत अस्पताल आवास हेतु हकदारी के पुनर्वर्गीकरण के मामले पर विभाग में विचार किया गया। सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के बाद सीएचएसएस के अंतर्गत अस्पतालं आवास हेतु हकदारी को निम्नानुसार पुनर्वर्गीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

Consequent on the revision of pay of employees as per Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008, the issue of re-classification of entitlement of Hospital accommodation under CHSS was considered in the Department. After considering all aspects it has been decided to reclassify the entitlement of Hospital accommodation under CHSS as follows:-

क्र. सं.	कर्मचारियों की श्रेणी	आवास की श्रेणी
SI.No.	Category of Employees	Class of Accommodation
1.	ऐसे कर्मचारी जो रु. 15,000/- के पे बैन्ड	एक कमरे में चार बेड तथा कॉमन
	से कम अथवा संशोधन पूर्व वेतनमान में	टायलेट/बाथरूंम
1	इसके समान वेतन प्रतिमाह प्राप्त करते हों।	Four beds in a room with common
	Employees drawing pay in the	toilet /bathroom.
1	pay band of less than Rs. 15000/-	
	per month or the equivalent pay	
	in the pre-revised scale.	
2.	ऐसे कर्मचारी जो रु. 15,000/- के पे बैन्ड	a second of the
	से अधिक परन्तु रु. 67,000/-से कम	,
	अथवा संशोधन पूर्व वेतनमान में इसके	Two beds in a room with attached
1	समान वेतन प्रतिमाह प्राप्त करते हो।	toilet/bathroom.
	Employees drawing pay in the	•
	pay band of Rs. 15000/- and	•
	above but below Rs. 67000/- per	
1	month or the equivalent pay in	į
	the pre-revised scale.	
3.		रेफरल अस्पताल में उपलब्धता के अनुसार एक
	में या इससे अधिक अथवा संशोधन पूर्व	
	वेतनमान में इसके समान वेतन प्रतिमाह	
	प्राप्त करते हों।	Single bed AC accommodation as
31	Employees drawing pay in the	
	1	hospital with attached toilet /
	and above or equivalent pay in	oathroom
the pre-revised scale.		

दिनांक 1.1.2006 से पूर्व सेवा निवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए अस्पताल आवास का पुनर्वर्गीकरण निम्नानुसार है:-

Re-classification of Hospital accommodation for employees retired prior to 1.1.2006 is as follows: -

क्र. सं.	कर्मचारियों की श्रेणी	आवास की श्रेणी
SI.No.	Category of Employees	Class of Accommodation
1.	वैज्ञानिक अधिकारी (ओएस) तथा इसके	रेफरल अस्पताल में उपलब्धता के अनुसार एक बेड
	ऊपर	वाला एसी आवास तथा संलग्न टायलेट/बाथरूम
	Scientific officers (OS) and	Single bed AC accommodation as per
	above.	the availability in the referral hospital with
96.52		attached toilet /bathroom.
2.	ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी जो संशोधन पूर्व	
		Two beds in a room with attached
	उससे अधिक वेतन प्रतिमाह प्राप्त करते	toilet/bathroom.
	थे	
	Employees retired with basic	
	pay in the pre-revised scale of	
	Rs. 8000/- and above per	
	month	
3.	ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी जो संशोधन पूर्व	एक कमरे में चार बेड तथा कॉमन टायलेट/बाथरूम
	वेतनमान में रु.8000/- का मूल वेतन या	Four beds in a room with common toilet
	उससे कम वेतन प्रतिमाह प्राप्त करते थे	/ bathroom.
	Employees retired with basic	
	pay in the pre-revised scale	y
	below Rs. 8000/- per month.	

अस्पताल आवास की हकदारी से संबंधित अन्य सभी प्रावधान सीएचएसएस के दिनांक 22.1.1998 के कार्यालय ज्ञापन सं. 7/55/94/सीएचएसएस/आईआरएंडडब्ल्यू/37 के अनुलग्नक-। के अनुसार होंगे।

All other provisions regarding entitlement of Hospital accommodation are as indicated in Annexure-I of the Contributory Health Services Scheme circulated vide OM No. 7/55/94/CHSS/IR&W/37 dated 22.1.1998.

(वी. गोविंदनकुष्टी V. Govindankutty) अवर सचिव Under Secretary

- सभी सीएचएसएस प्रशासकीय प्राधिकारी All CHSS Administering Authorities
- सभी इकाइयों के अध्यक्ष
 All Heads of Units